हर गौशाला में बनेगा 'गोपाल वन'

9 जुलाई को यूपी में 37 करोड़ अधिक पौधे रोपे जाएंगे

लखनऊ, 5 जुलाई.पौधरोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत नौ जुलाई उत्तर प्रदेश 37 करोड़ से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही सरकार प्रदेश की सभी गोशालाओं में गोपाल वन की स्थापना करेगी. गौशाला में छायादार व चारा प्रजाति के पौध लगाने के निर्देश दिए गए हैं. गोपाल वन की स्थापना की मुहिम से संत समाज व गोपालक भी जुड़ गए हैं.

अधिकृत सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सरकार ने 2025 महाभियान के तहत 52.43 करोड़ पौधे तैयार कराए हैं. इसमें से 37 करोड़ पौधे यूपी में लगाए जाएंगे. 2017 के पश्चात अब तक 204.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं. ग्रीन वेव की तरफ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश हरित आवरण में देश में दूसरे स्थान पर है. यही नहीं, यूपी की हवा को शुद्ध करने के साथ ही योगी सरकार जंतु-जानवरों की तरफ भी पूरा ध्यान दे रही है. इसी को देखते हुए गोपाल वन की स्थापना कराई जा रही है.

निजी और सरकारी गोशालाओं में भी पौधरोपण

गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुहिम से संत समाज व गोपालक भी जुड़ गए हैं. संत समाज-गोपालकों ने तय किया है कि निजी और सरकारी गोशालाओं में भी पौधरोपण किया जाएगा. 9 जुलाई से सभी गोशालाओं में पौधरोपण प्रारंभ होगा. फिर इनके संरक्षण पर भी सर्वाधिक जोर रहेगा. गोसेवा आयोग ने भी पौधरोपण महाभियान में सहभागिता को लेकर तैयारी कर ली है. आयोग की तरफ से दो दिन पहले ऑनलाइन बैठक भी हुई है.

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 6613 अस्थायी गोआश्रय स्थल, 387 वृहद गोसंरक्षण केंद्र, 305 कांजी हाउस तथा शहरी क्षेत्र में 303 कान्हा गोआश्रय स्थल सहित कुल 7608 गोआश्रय स्थल संचालित हैं. इन सभी स्थलों में गोपाल वन की स्थापना भी की जाएगी. पूरे वर्षकाल में यहां भी पौधरोपण किया जाएगा. साथ ही इसके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान रहेगा. सरकार ने इसके अतिरिक्त निजी गोपालकों से भी अनुरोध किया है कि वे भी पौधे लगाएं.

भगवान श्रीकृष्ण को गोपाल कहा जाता है. वे गायों की देखभाल व पालन करते थे. गाय निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देती है. इसी उद्देश्य से योगी सरकार ने निर्णय लिया कि गोशाला परिसर में निवास कर रहे पशुओं को छाया व चारा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत प्रत्येक गोशाला परिसर में गोपाल वन की स्थापना की जाए. महाभियान के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि प्रभागों के अंतर्गत प्रत्येक गोशाला में गोपाल वन की स्थापना की जाए, जिसमें स्थल की उपलब्धता के अनुरूप छायादार व चारा प्रजातियों का रोपण किया जाए.

धामी ने अपने खेत में की धान रोपाई, किसानों के श्रम को किया नमन

नगला तराई (खटीमा), 05 जुलाई.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खटीमा तहसील अंतर्गत, नगला तराई क्षेत्र स्थित अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया. उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं.मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं. उन्होंने इस मौके पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बौल के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की. मुख्यमंत्री के इस सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया.

पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर पल्ला झाड़ा

भुट्टो बोले- अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है

नयी दिल्ली, 05 जुलाई .पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

भुट्टो ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान में अजहर की मौजूदगी के बारे में जानकारी देता है तो पाकिस्तान उसे गिरफ्तार करने में 'खुशी' महसूस करेगा.उन्होंने अल जजीरा न्यूज चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा कि हाफिज सईद पाकिस्तान में एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है और मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है.गौरतलब है कि भटुटो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) देश में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है और मसूद अजहर भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है.अजहर ने 2001 के संसद हमले, 26/11 मुंबई हमलों, 2016 पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में प्रमुख भूमिका निभाई थी.मसूद अजहर को 1267 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के तहत 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था.उल्लेखनीय है कि भारत मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को सौंपने की लगातार मांग करता रहा है लेकिन पाकिस्तान इन दोनों के वहां सक्रिय होने के सबूतों के बावजूद वहां इनकी मौजूदगी से इनकार कर रहा है.वर्ष 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद आईसी-814 के यात्रियों को छोड़ने के बदले अजहर को रिहा किया गया था.

> हाफिज सईद के आज़ाद होने के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर एक सवाल के जवाब में भुट्टो ने कहा, यह सही नहीं है.यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि हाफिज सईद एक आज़ाद व्यक्ति है.वह पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है.जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम उसे गिरफ्तार करने या उसकी पहचान करने में असमर्थ रहे हैं.अफगान जिहाद के संदर्भ में उसके अतीत को देखते हुए हमारा मानना है कि वह अफगानिस्तान में है.

पटना में व्यवसायी की हत्या, मचा हड़कंप

पटना, 05 जुलाई. बिहार में राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि शुक्रवार की देर रात गोपाल खेमका (65) अपनी कार से पटना क्लब से घर लौट रहे थे. जैसे ही वह होटल पनाश के पास स्थित अपने अपार्टमेंट के गेट पर उतरे, तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया. परिजनों ने उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.खेमका हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी गंभीरता दिखाई है. शनिवार को मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में वरीय अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. उन्होंने पुलिस महानिदेशक से खेमका की हत्या के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और दोषियों पर बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात की जाए.

आज का इतिहास

1785 अमेरिका के लिए पैसा के रूप में डॉलर को सर्वसम्मति से चुना गया.

1892 दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय ब्रिटेन में संसद सदस्य के रूप में चुने गए.

1906 दूसरा जिनेवा सम्मेलन पूरा हुआ.

1923 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई.

1961 मोजाम्बिक के निकट पुर्तगाल के जहाज में विस्फोट से 300 लोग मरे.

2002 अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या काबुल में कर दी.

2005- मैक्सिको में मानव का चालीस हज़ार वर्ष पुराना पदचिह्न मिला.

2008- दक्षिणी मिस्र में 5000 साल पुराने शाही क़ब्रिस्तान की खोज की गई.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

अस्ति वसूली शाखा : 12/12-ए, द्वितीय मंजिल अनूप नगर, जीवन प्रदीप, एलआईसी बिल्डिंग, सीएचएल हॉस्पिटल के सामने, इन्दौर-452011

उधारकर्ता को विक्रय हेतु सूचित करने के लिए सूचना (30 दिनो की सूचना)
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2)/8(6) के अंतर्गत

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अस्ति वसूली शाखा, सुरक्षित ऋणदाता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांक **31.12.2024** को भेजी गई थी, जिसमें आपसे निर्धारित समय के भीतर बकाया भुगतान करने की मांग की गई थी। चूंकि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का पालन करने में विफल रहे, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6/8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों को अपने कब्जे दिनांक **28.05.2025** को ले लिया है।
सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी आपने बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः, इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करके नीचे उल्लिखित संपत्ति को बेचना आवश्यक हो गया है। ई-नीलामी की दिनांक और समय, संपत्ति का आरक्षित मूल्य एवं सेवा प्रदाता का विवरण, जिसमें ई-नीलामी को आयोजित किया जाना है, आपको अलग से सूचित किया जाएगा।
इसलिए, यदि आप विक्रय सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पहले बैंक को देय राशि का भुगतान बाद के ब्याज, लागत, शुल्क और बैंक द्वारा किए गए खर्चों के साथ करते हैं तो संपत्ति के विक्रय के लिए कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी एवं आप अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत अपनी संपत्ति को भुना सकते हैं।

क्र.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक
1	1. ऋणी/ओं (ए) श्री लोकेश जाधव (ऋणी) (बी) श्री कैलाश जाधव (ऋणी एवं बंधककर्ता) दोनों का पताः मकान नं. 20, आर्य समाज मार्ग मालीपुरा, उज्जैन, मध्यप्रदेश-456001 2. सह-ऋणियों /जमानतदार/ओं (ए) श्री विजेन्द्र सिंह चौहान पता : मकान नं. 2/4, दुर्गा कालोनी, मध्यप्रदेश - 456001	प्लॉट/मकान का संपूर्ण भाग, जिसका नया नंबर 20 (पुराना नंबर 1/902 भाग), आर्य समाज मार्ग, मालीपुरा, उज्जैन (म.प्र.) में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 173.60 वर्ग मीटर है और सेटबैक के बाद का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, साथ ही उस पर संपूर्ण रुप से निर्मित मकान संपत्ति स्वामीः श्री कैलाश जाधव, नीचे वर्णित चर्तुःसीमाएँ: पूर्व में: सड़क (मालीपुरा बहादुर गंज), पश्चिम में: विक्रेता से संबंधित परिसर, उत्तर में: श्री तेज सिंह से संबंधित मकान, दक्षिण में: श्री रामचंद्र से संबंधित मकान	31/12/2024 28/05/2025

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 23.06.2025
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस (सरफेसी एक्ट)

केनरा बैंक की शाखाओं के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन. पी. ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणी/जमानतदार को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा ऋणी/जमानतदार व सह ऋणी आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया है, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शाई राशि **60** दिनों के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी/ जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है:

क्र.	ऋणी/जमानतदार का नाम व पता	मांग सूचना दिनांक / बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
	राउ शाखा, मोबाईल: 87708 21648		
1.	**1. श्री तरूण खरे पिता ओमप्रकाश,** 43, भुरी टेकरी, बिचोली हप्सी, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **2. श्रीमती सुनीता पति तरूण खरे,** 44, भुरी टेकरी, बिचोली हप्सी, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **3. श्री तरूण खरे पिता ओमप्रकाश,** रहवासी फ्लेट नं. ए-11/806, आठवीं मंजिल, ब्लॉक नं. ए-11, अरवली परिसर, ग्राम बिचोली हप्सी, इन्दौर (म.प्र.) 452016	मांग सूचना दिनांक 01.07.2025 बकाया राशि (₹) 1,68,124.10 + दिनांक 30.06.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च	रहवासी फ्लेट नं. ए-11/806, आठवीं मंजिल, ब्लॉक नं. ए-11, अरावली परिसर, ग्राम बिचोली हप्सी, इन्दौर (म.प्र.) 452016, **क्षेत्रफल: 376.38 वर्गफीट (बिल्ट अप क्षेत्रफल), मालिक: श्री तरूण खरे पिता ओमप्रकाश, सीमाएं: उत्तर:** कॉमन पेसेज, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** फ्लेट नं. 805, **पश्चिम:** सड़क
	सेंधवा शाखा, मोबाईल: 89899 89106		
2.	**1. श्री चेतन चौधरी पिता राजेश चौधरी,** वार्ड नं. 4, मोदी पेट्रोल पंप के पास, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451666, **2. श्री आशीष पिता रमेश चंद्र जुनेजा** वार्ड नं. 22, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, टीवी टॉवर के पास, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451666, **3. श्री चेतन चौधरी पिता राजेश चौधरी,** प्लाट नं. 80, सर्वे नं. 123/2/2, 126/1/2, पर स्थित रहवासी मकान, सुरज नगर, ग्राम मेरखेड़ी, तहसील निवाली, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451666	मांग सूचना दिनांक 01.07.2025 बकाया राशि (₹) 9,33,911.26 + दिनांक 01.07.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च	प्लाट नं. 80, सर्वे नं. 123/2/2, 126/1/2 पर स्थित रहवासी मकान, सुरज नगर, ग्राम मेरखेड़ी, तहसील निवाली, सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) 451666, **क्षेत्रफल: 1000 वर्गफीट, मालिक: श्री चेतन चौधरी पिता राजेश चौधरी, सीमाएं: उत्तर:** प्लाट नं. 79, **दक्षिण:** विक्रेता की भूमि, **पूर्व:** विक्रेता की भूमि, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क
	बुरहानपुर शाखा, मोबाईल: 94253 26221		
3.	**1. मोहम्मद अय्युब साहब पिता मोहम्मद कमाल साहब,** मकान नं. 25, वार्ड नं. 25, लोहर मण्डी, शाह आलम मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331, **2. मोहम्मद उबैद पिता मोहम्मद अय्युब साहब,** मकान नं. 25, वार्ड नं. 25, लोहर मण्डी, शाह आलम मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331, **3. मोहम्मद अय्युब साहब पिता मोहम्मद कमाल साहब,** सर्वे नं. 232-233, ब्लॉक नं. 06, शीट नं. 05, पर स्थित रहवासी मकान, ग्राम अमागिर्द, हाईवे रोड, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331	मांग सूचना दिनांक 03.07.2025 बकाया राशि (₹) 10,09,161.29 + दिनांक 01.07.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्च	1. सर्वे नं. 232-233, ब्लॉक नं. 06, शीट नं. 05, पर स्थित रहवासी मकान, ग्राम अमागिर्द, हाईवे रोड, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331, **क्षेत्रफल: 1235 वर्गफीट, मालिक: मोहम्मद अय्युब साहब पिता मोहम्मद कमाल साहब, सीमाएं: उत्तर:** बाबु अहमद की संपत्ति, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** कमाल साहब की शेष भूमि, **पश्चिम:** कमाल साहब की शेष भूमि 2. सर्वे नं. 232-233, ब्लॉक नं. 06, शीट नं. 05, पर स्थित रहवासी मकान, ग्राम अमागिर्द, हाईवे रोड, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331, **क्षेत्रफल: 172 वर्गफीट, मालिक: मोहम्मद अय्युब साहब पिता मोहम्मद कमाल साहब, सीमाएं: उत्तर:** बाबु अहमद की संपत्ति, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** खण्डवा-बुरहानपुर रोड, **पश्चिम:** मोहम्मद अय्युब साबह की संपत्ति

(1) उक्त मांग सूचना पत्र आपको डाक प्राधिकरण द्वारा **केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय** से भेजा गया था। आप नोटिस की कॉपी बैंक से प्राप्त कर सकते है ताकि आपको सूचना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाये। (2) आप सभी को सुझाव दिया जाता है कि मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित उपरोक्त मांग सूचना की दिनांक के **60 दिनों** के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत आगामी कार्यवाही से बच सकें।
स्थान: इन्दौर, दिनांक: 06.07.2025
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, इन्दौर

दूल्हे समेत 8 की दर्दनाक मौत

संभल में तेज रफ्तार बुलेरो दीवार से टकराई

12 में से 8 लोगों की मौके पर मौत

संभल, 05 जुलाई. उत्तर प्रदेश.संभल जिले में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बारात लेकर जा रहे दूल्हे सहित 8 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना जुनावई गांव में जनता इंटर कॉलेज के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार बुलेरो अनियंत्रित होकर कॉलेज की दीवार से जा टकराई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

बताया जा रहा है कि बुलेरो में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल चार अन्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के निर्देश दिए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी.

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
राउ शाखा: ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) 453331

मांग सूचना

दिनांक: 06.07.2025
प्रति,
श्री नीरज कुमार एवं उनके पात्र कानूनी उत्तराधिकारी
62-बी, न्यू यार्क सिटी, इन्दौर
महोदय/महोदया,
विषय: ऋण खाता क्रं. 23120610011713 (स्वर्ण ऋण)
आपकेअनुरोध पर, आपको **यूको बैंक, राऊ शाखा** द्वारा दिनांक **18.06.2022** को 12 महीनों के लिए **1,04,600.00 रुपये (एक लाख चार हजार छह सौ रुपये मात्र)** की राशि प्रदान की गई है और आपने अपने द्वारा निष्पादित ऋण आवेदन/दस्तावेजों/समझौते में उल्लेखित विस्तृत विवरण के अनुसार अपने सोने के आभूषण/आभूषण/सिक्केगिरवी रखे थे। आज की तिथि तक **06.07.2025** तक के ब्याज सहित **1,28,000.63 रुपये (एक लाख अट्ठाईस हजार साठ पैसे मात्र)** की राशि, भविष्य के ब्याज सहित आपसे देय है (अतिदेय राशि)।
यदि आप इस डिमांड-नोटिस की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त अतिदेय राशि, आगे के ब्याज, लागत और व्यय केसाथ चुकाने में विफल रहते हैं, तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता उक्त अतिदेय राशि, भविष्य केब्याज, लागत और व्यय की वसूली केलिए उपर्युक्त सोने के आभूषणों/आभूषणों/सिक्कों की नीलामी केलिए आगे बढ़ेंगे।
कृपया इस मामले को सबसे जरूरी समझें। यह डिमांड नोटिस बैंक केअधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है ताकि वह अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानून के लागू प्रावधानों के तहत ऐसी अन्य कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही शुरू कर सके, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।
आपका सादर
वरीष्ठ प्रबंधक
यूको बैंक, राउ शाखा

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
अंचल कार्यालय: प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के समीप, साकेत नगर, अंचल कार्यालय, भोपाल
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर, फोन: 7049919126

ई-नीलामी सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑनलाइन) के विक्रय की सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अन्तर्गत

यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत ले लिया है, सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** के द्वारा संचालित ई-नीलामी निम्न शर्तें एवं नियम के आधार पर संपत्ति का विक्रय वेबसाईट **https://baanknet.com/** द्वारा की जायेगी।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/सह ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्तियों का विवरण	क्षेत्रफल	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	सियागंज शाखा, इन्दौर 89899 89142	मेसर्स कमल श्री हॉस्पिटल प्रो.: प्रिया सिसोदिया, प्रिया सिसोदिया पति रनजीत सिंह सिसोदिया	1. फ्लेट नं. 402, प्लाट नं. 18, रजत कॉम्प्लेक्स, किबे कम्पाउण्ड, इन्दौर (म.प्र.) 452015, **मालिक: प्रिया सिसोदिया, चर्तु:सीमा: उत्तर:** अन्य संपत्ति, **दक्षिण:** पेसेज एवं फ्लेट नं. 403, **पूर्व:** अन्य बिल्डिंग, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 401	1156 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	फ्लेट	3,50,52,469.50 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2022 से	Rs. 22,88,000 Rs. 2,28,000	22.07.2025 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
			2. प्लाट नं. 2, सर्वे नं. 188/1, 188/2 एवं 188/2/1, ग्राम सांतेर, किशनगंज, महू, इन्दौर (म.प्र.) 452015, **मालिक: प्रिया सिसोदिया, चर्तु:सीमा: उत्तर:** खुली भूमि, **दक्षिण:** खुली भूमि, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** अन्य भूमि	13000 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	प्लाट		Rs. 1,40,40,000 Rs. 14,04,400	
2.	एम.जी. रोड शाखा इन्दौर 70499 19105	पूजा पटवा पति सतीश पटवा, सतीश पटवा (सह-ऋणी)	फ्लेट नं. 401-402, चौथी मंजिल, हरिदर्शन अपार्टमेंट, प्लाट नं. 1, श्रीराम कमल रेसीडेन्सी, ग्राम नेनोद, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **मालिक: पूजा पटवा पति सतीश पटवा, चर्तु:सीमा: उत्तर:** खुली जगह, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 403, **पूर्व:** खुल पेसेज, **पश्चिम:** खुला डक्ट	753.47 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	फ्लेट	7,80,719.72 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2021 से	Rs. 7,80,000 Rs. 78,000	22.07.2025 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
3.	बुरहानपुर शाखा 94253 26221	मेसर्स संजय ट्रेडर्स, प्रो.: जगदीश चंद्र सोलंकी एवं जगदीश चंद्र सोलंकी पिता नवनीत सोलंकी	गोडाउन प्लाट नं. 40/2, वार्ड नं. 03, ब्लॉक नं. 54, शिखरपुरा, तहसील एवं जिला बुरहापनुर (म.प्र.) 450331, **मालिक: जगदीश चंद्र सोलंकी, चर्तु:सीमा: उत्तर:** गोडाउन नं. 08, **दक्षिण:** गोडाउन नं. 10, **पूर्व:** कॉमन पेसेज, **पश्चिम:** पीडब्ल्यूडी की संपत्ति	275 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	गोडाउन	6,86,313.24 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 02.05.2024 से	Rs. 4,40,000 Rs. 44,000	22.07.2025 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)

नियम एवं शर्तें: संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तो के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित **''जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है''** के आधार पर होगा। बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। (2) नीलामी/बोली केवल **ऑनलाइन इलेक्टानिक बोली** के माध्यम से वेबसाइट **https://baanknet.com/** के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर **दिनांक 21.07.2025 को प्रातः 10.30 से सायं 5 बजे** के बीच कर सकते है। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नही होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बड़ा सकते है। (5) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा** के पक्ष में **दिनांक 21.07.2025 तक या इसके पूर्व सायं 5.00 बजे** तक जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओ के पास अपना वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र एवं ई-मेल पता होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया सेवा प्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि., ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, फोन नं.: 8291220220** ईएमडी की राशि जमा करने के पश्चात तुरंत उसी दिन बोलीकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता से मिले (यदि बोलीकर्ता के पास वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर न हो तो)। (7) ईएमडी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी **दिनांक 21.07.2025 के पूर्व सायं 05.00 बजे तक केनरा बैंक, संबंधित शाखा** में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (1) ईएमडी की राशि डिमांड ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर द्वारा। यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसिद यूटीआर नं. सहित। (2) पेन कार्ड, आईडी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ कॉपी जबकि सफल बोलीकर्ता द्वारा इनके मूल दस्तावेज बैंक को बिड राशि की 25% जमा करते समय देना होगा। (3) बोलीकर्ता का नाम, संपर्क नं., पता, ई-मेल आईडी (4) ऑनलाइन ईएमडी की राशि वापस करने के लिए बोलीकर्ता के खाते की विस्तृत जानकारी। (8) इच्छुक बोलीकर्ता को अपना नाम पोर्टल **https://baanknet.com/** पंजीकृत करना होगा एवं उनकी यूज़र आईडी, पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीकर्ता सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि., ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, फोन नं.: 8291220220** से ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण ले सकते है। (9) नीलामी असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि संपत्ति के विक्रय की पुष्टिके दो दिन पश्चात वापस कर दी जावेगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। (10) नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी जैसा की उपर वर्णित है। बोलीदाताओं को **50.00 लाख तक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 10,000 रुपये के गुणक में तथा 50.00 लाख से अधिक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 25,000 रुपये के गुणक** में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नही) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जावेगी। (11) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की पुष्टि के तुरंत बाद उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी की राशि सहित जो पूर्व में जमा की गई है) जमा करनी होगी एवं शेष राशि सुरक्षित देनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता उपर वर्णित समयावधि में राशि चुकाने में असफल होता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में बिना कोई सूचना दिए उसकी जमा राशि जप्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पूनः विक्रय किया जावेगा। (12) सफल बोलीकर्ता द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन में होने वाले सभी खर्च, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प ड्यूटी, टेक्सेस, सरकारी बकाया इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बोली को स्थगित करने, आगे बढ़ाने या नियम व शर्तो को बिना पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार सुरक्षित है। (14) यदि किसी बोलीकर्ता के पास इंटरनेट की सुविधा नही है और यदि वो ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है तो वह संबंधित मंडल अधिकारी एवं संबंधित शाखा से संपर्क कर सकता है, जो कि आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध कर सकता है। (15) **विस्तृत जानकारी के लिए केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 7049919126 पर संपर्क करें।** विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलीदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु बेक-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
स्थान : इंदौर, दिनांक : 06.07.2025
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक